सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 19.03.2024

तमन्चा दिखाकर लूट करने वाले 01 वाँछित अन्तर्जनपदीय लुटेरे को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर तथा 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना बलरई पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.02.2024 को वादी सतेन्द्र पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम व पोस्ट नगला तौर थाना बलरई जनपद इटावा द्वारा थाना बलरई पर सूचना दी गयी कि जब वह रास्ते में जा रहे थे तभी ग्राम नगला तौर के पास अज्ञात अपाचे मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियों द्वारा पीछे से आकर उन्हें तमन्चा दिखाकर उनसे बैग छीन लिया गया, जिसमें 80,000/- रूपये लैपटॉप HP, लेन-देन की रजिस्ट्री एवं अन्य सम्बन्धित कागजात थे। सूचना पर तत्काल थाना बलरई पर मु0अ0सं0 08/2024 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलान्स टीम, थाना वैदपुरा,लवेदी एवं थाना बलरई से पुलिस टीम गठित की गयी थी गठित पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये **दिनांक 21.02.2024 को अभियुक्तगण 1. सतीश उर्फ सतेन्द्र सिंह पुत्र मान सिंह यादव 2. लोकेन्द्र प्रसाद उर्फ बंटी पुत्र भवानी प्रसाद जाटव 3. राहुल उर्फ शैलेन्द्र पुत्र सुघर सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया था,** जिनसे पूछताछ के आधार पर अभियुक्त छोटू उर्फ गोपाल पुत्र डोरीलाल का नाम प्रकाश में आया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 18/19.03.2024 की रात्रि को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना बलरई पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से थाना बलरई क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी की मु0अ0सं0 08/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त यादव नगर चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये **अभियुक्त छोटू उर्फ गोपाल को यादव नगर चौराहे के पास से समय 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. छोटू उर्फ गोपाल पुत्र डोरीलाल निवासी ग्राम धीरपुरा थाना नगला सिंघी जिला फिरोजाबाद **उम्र करीब 36 वर्ष।**

बरामदगीः-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 2830/- रूपये नकद।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 08/2024 धारा 394/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलरई जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त छोटू उर्फ गोपाल पुत्र डोरीलाल

1. मु0अ0सं0 117/2024 धारा 392 भादवि थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 08/2024 धारा 394/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलरई जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- **प्रथम टीम -** उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

द्वितीय टीम- उ0नि0 श्री अमित कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष बलरई, उ0नि0 संजय यादव, का0 अमित कुमार, का0 गुलशन।